



आंदोलनीय वनाधिकारी
ज्ञानवेदन
कांगड़ा लो. बिहार

आंदोलनीय वनाधिकारी
ज्ञानवेदन
कांगड़ा लो. बिहार

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या:- 558 / छब्बीस-वन / 2010-11 दिनांक: ०२ जून, २०१०
कुमार

Ex-
1

सेवामें,

अधिशासी अभियन्ता.

प्रान्तीय खण्ड,

लोक निर्माण विभाग,

बागेश्वर ॥

विषयः—

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक पर अपने कार्यालय के फैक्स पत्र संख्या- 223/2 ई0व0भ०
दिनांक: 02 जुलाई,2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित तहसीलवार कुल भूमि- 1402.678 है0 की सूचना/स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या- 172/छब्बीस-वन/2008-09 दिनांक: 02 फरवरी,2009 से शासन को प्रेषित की गई थी, जिसकी स्वीकृति शासन ने अपने पत्र संख्या- 759 (1) / xviii (2)/2009 दिनांक: 20 मार्च,2010 के माध्यम से प्रदान की थी, किन्तु चिह्नित भूमि का स्थलीय कब्जा वन विभाग को देते समय तहसील गरुड़ के अन्तर्गत 0.982 है0 भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। वर्तमान में 0.982 है0 भूमि को चिह्नित भूमि से पृथक कर लिया गया है, तदनुसार 1265.676 है0 भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित की जा चुकी है, शेष तहसील गरुड़ एवं काण्डा में चिह्नित भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया इस स्तर पर गतिमान है। जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी,

कर्ते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० बागेश्वर के उक्त फैक्स पत्र संख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या- 552/छब्बीस-वन/2010-11 दिनांक: 29 जून, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें के क्रम में इस आशय के साथ प्रेषित की उक्तानुसार शेष भूमि को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेते हुए इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से लेवें।

प्रभारी अधिकारी,
कर्ते जिलाधिकारी, बागेश्वर।